भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पिर्यसन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो0ओ0 न्यू फॉरेस्ट ,देहरादून–248006
दूरभाष: 0135–2750809,
ईमेल/Email moef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS & CLIMATE CHANGE, REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehrdun – 248006
Phone: 0135-2750809

पत्र सं0 8B/HPB/02/35/2016/833

दिनांक: 19/08/2016

सेवा में,

प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार,
आमर्सडेल बिल्डिंग,शिमला।

विषय : **Diversion of 4.094 ha of forest land in favour of POWERGRID Kala Amb Transmission Ltd. (wholly owned Subsidiary of Power Grid Corporation of India, Ltd., A Govt. of India Enterprise) for LILO of existing 400 KV Double Circuit Karcham Wangtoo-Abdulapur Transmission line near Kala Amb, HP, within the jurisdiction of Nahan Forest Division, Distt. Sirmour, H.P.**

संदर्भ: नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.), हि0प्र0 के पत्रांक संख्या एफ.टी. 48–3152/2015 (एफ.सी.ए.) दिनांक 11.05.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, हिमाचल प्रदेश के संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा Online Proposal no. FP/HP/Trans/14566/2015 द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज Online मंगवायी गई थी, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार **Diversion of 4.094 ha of forest land in favour of POWERGRID Kala Amb Transmission Ltd. (wholly owned Subsidiary of Power Grid Corporation of India, Ltd., A Govt. of India Enterprise) for LILO of existing 400 KV Double Circuit Karcham Wangtoo-Abdulapur Transmission line near Kala Amb, HP, within the jurisdiction of Nahan Forest Division, Distt. Sirmour, H.P** हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात 8.188 हे0 RF Gumati Sambhalwa C-2 पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 7 वर्षों तक रखरखाव हेतु (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण से आवश्यक धन राशि जमा कराई जायेगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित ट्रांसमीशन लाईन के नीचे, RoW के अंदर जहॉ–जहॉ संभव हो, बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधों) के रोपण एवम् 7–10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी। इस कार्य के लिए वन विभाग द्वारा तैयार की गई वृक्षारोपण योजना एवम् प्राकलन, जिसके आधार पर प्रयोक्ता अभिकरण से राशि प्राप्त की जाएगी, की एक प्रति रिकार्ड हेतु इस कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा उपरोक्त दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण

(CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में **Online Portal** के माध्यम द्वारा जो चालान **Generate** होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।

उपरोक्त सभी शर्तों की पूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नही की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

राज्य सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्राप्त होने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जायेगी:–**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. प्रस्ताव के अनुसार 8.188 है0 प्रतिपूर्ति पौधारोपण RF Gumati Sambhalwa C-2 एवं ट्रांसमिशन लाइन के नीचे बौने पौधे (मुख्यतः औषधीय पौधे) पौधरोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
3. Below each conductor or conductor bundle, 3m width clearance would be permitted for stringing purpose within the approved RoW.
4. The trees on such strips would have to be felled but after stringing work is completed, natural regeneration will be allowed to come up. Felling/pollarding/pruning of trees will be done with the permission of the local forest officer, wherever necessary, to maintain the electrical clearance. One outer strip shall be left clear to permit maintenance of the transmission line.
5. During construction of transmission line, pollarding/pruning of trees located outside the above width of the strips, whose branches/parts infringe with conductor stringing, shall be permitted to the extent necessary, as may be decided by local forest officer.
6. Pruning of trees for taking construction/stringing equipments through existing approach/access routes in forest areas shall also be permitted to the extent necessary, as may be decided by local forest officer. Construction of new approach/access route will however, require prior approval under the Act.
7. In the remaining width of right of way trees will be felled or lopped within the RoW to the extent required, for preventing electrical hazards by maintaining minimum clearance between conductor and trees as follows: 5.5 m for 400 KV.
8. In the case of transmission lines to be constructed in hilly areas, where adequate clearance is already available, trees will not be cut except those minimum required to be cut for stringing of conductors.
9. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
12. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
13. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।
14. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 110 से अधिक न हो।
15. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillar लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर

Pillar no. . Forward तथा Back bearing तथा distance between pillars भी अंकित किया जाएगा।

16. निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जहां जहां सम्भव हो परियोजना क्षेत्र के रिक्त पड़े स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख वन विभाग द्वारा प्रस्ताव के अनुसार पौधारोपण एवं उसका रख–रखाव किया जायेगा।

17. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

18. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

19. ऐसी कोई भी अन्य शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवम् वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीया,

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला।
3. आदेश पत्रावली।

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक